

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 23/2022

(Bank Case)

GCMS No. - 2022/33

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।
- प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. प्रदीप शीशवाल पुत्र श्री लटूर लाल (ऋणी)
सम्पत्ति पता- प्लॉट नं. सी-76, दुर्गा नगर, सकतपुरा, नांता रोड, कुन्हाडी, कोटा कार्यालय पता- सेटलाईट अस्पताल के पास, रामपुरा, कोटा पता- मकान नम्बर 104, कृष्णा विहार कॉलोनी, कुन्हाडी, कोटा (राज) 324008
 2. श्रीमती मुन्नी मोती लाल पत्नि श्री लटूर लाल (सहऋणी)
सम्पत्ति पता- प्लॉट नं. सी-76, दुर्गा नगर, सकतपुरा, नांता रोड, कुन्हाडी, कोटा पता- मकान नम्बर 104, कृष्णा विहार कॉलोनी, कोटा (राज) 324008
- अप्रार्थीगण
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002



उपस्थित:-

श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17-05-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड", पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30.03.2015 को 12,27,916/- रुपये (अक्षरे बारह लाख सत्ताईस हजार नौ सौ सोलह रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर सी-76, दुर्गा नगर, सकतपुरा, नांता रोड, कुन्हाडी, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज हैं, जो कि जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2015 से श्रीमती मुन्नी बाई पत्नि स्व. श्री लटूर लाल एवं प्रदीप शीशवाल पुत्र श्री लटूर लाल के नाम है। चतुःसीमा पूर्व में- रोड 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में- भूखण्ड संख्या सी-54, उत्तर में- भूखण्ड संख्या सी-77, दक्षिण में- भूखण्ड संख्या सी-75 है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.12.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 12,90,087/- (अक्षरे रुपये बारह लाख नब्बे हजार सत्यासी मात्र) बकाया रकम दिनांक 25.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

अप्रार्थीगण को दिनांक 27.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 19.01.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2018को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 19.01.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 27.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 19.01.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर सी-76, दुर्गा नगर, सकतपुरा, नांता रोड़, कुन्हाडी, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज हैं, जो कि जर्ज विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2015 से श्रीमति मुन्नी बाई पत्नि स्व. श्री लटूर लाल एवं प्रदीप शीशवाल पुत्र श्री लटूर लाल के नाम है। चतुःसीमा पूर्व में- रोड 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में- भूखण्ड संख्या सी-54, उत्तर में- भूखण्ड संख्या सी-77, दक्षिण में- भूखण्ड संख्या सी-75 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-05-2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)